VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 07 SEP 2022 No. 3
RECEIVED

SUBJECT:		Test Code:	2 2 5 1
Name of Candidate	Ishwar lal Cresjun		
Medium Hindi/Eng.	Hindi	Registration Number	1 2 9 5 8 18
Center	Delhi	Date	07,09,22

INDEX TABLE

Q. No.	Page No.	Maximum Marks	Marks Obtained

Total Marks Obtained:

Remarks :

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न–पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न / भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
4. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न–सह–उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
5. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
6. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सेक्शन - A

भारत में न्यायिक नियुक्तियों में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है।

"जज साहब! लोग अपनी जमीनें, जायदात बेचकर न्याय की चौखट पर आते है, लेकिन उन्हें, यहाँ न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो केवल, तारीख!
जिन्दगी गुजर जाती है,
लोगों की जेबें खाली हो जाती है,
इन अदालतों के चक्कर काटते-काटते
और उन्हें मिलती है तारीख!
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख!

'सनी देओल' द्वारा अभिनेयत 'फ़िल्म - दामिनी' का यह संवाद प्रतीकात्मक रूप से हमारी न्यायिक व्यवस्था की वर्तमान दुर्दशा को व्यक्त करता है, जहाँ 4.7 करोड़ मामले लंबित है, जिनमे से

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

80 हजार मामले ऐसे हैं, जो 30 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं, जो न्याय देने की जगह तारीख पर तारीख देने की विडम्बना का प्रतीक बन चुके है।

गौरतलब है कि 'देरी से मिला हुआ न्याय, अन्याय होता' है, जो एक पीड़ित की मानसिक पीड़ा को बढ़ाता है, न्यायिक प्रणाली में जन विश्वास में कमी लाता है और अपराधियों के हौसलों को बढ़ाकर समाज में शांति, समृद्धि के लिए खतरा बन जाता है।

ध्यातव्य हो कि भारत के संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर एक न्यायपूर्ण समाज

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

की परिकल्पना की गई है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली जहां सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय व संघीय न्यायालय के रूप में उच्चतम स्तर पर है तो राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है। इस उच्च न्यायपालिका के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायिक व्यवस्था है जिसमें, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट की संरचना विद्यमान है।

भारत में न्यायिक नियुक्तियों में व्यापक बदलाव की आवश्यकताओं को रेखांकित करने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि, हमारी न्यायिक व्यवस्था में नियुक्ति प्रणाली कैसी है?

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसके क्या संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान है? और इसमें क्या कमियाँ मौजूद हैं।

उच्च न्यायपालिका (सर्वोच्च व उच्च न्यायालय) में न्यायधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। ध्यान देने की बात यह है कि भारत के संविधान में न्यायधीशों की नियुक्ति की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद -124 के तहत भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से 'परामर्श' के बाद उच्च न्यायलयों व उच्चतम न्यायलय (SC) में न्यायाधीशों की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नियुक्ति व स्थानांतरण कर सकता है।

CJI से 'परामर्श' करने की बात की व्याख्या के क्रम में प्रथम जजवाद (1982), द्वितीय जजवाद (1994) व तीतृय जजवाद (1997) के क्रम में कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ; जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जजों व CJI की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है।

अतः कॉलेजियम प्रणाली एक न्यायिक उत्पाद है; लेकिन यह नियुक्ति प्रणाली प्राकृतिक न्याय के खिलाफ होने के साथ ही कई कमियों से ग्रस्त है। उदाहरण के लिए न्यायधीशों द्वारा ही

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

न्यायाधीशों की नियुक्ति करना शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है, कॉलेजियम व्यवस्था अपारदर्शी है; जिसमे सिफारिश करने व न करने के लिए निश्चित मापदण्ड नहीं है। यह भाई-भतीजावाद व महिला विरोधी होने के आरोपों से भी मुक्त नहीं है। इसके अतिरिक्त यह कार्यपालिका व न्यायपालिका में विवाद व टकराव का कारण भी बनती है जैसा की 99 वें संविधान संशोधन (NJAC) में देखा गया।

जस्टिस कर्णन वाद में न्यायिक नियुक्ति प्रणाली व स्थानांतरण में मौजूद कमियों ने न्यायपालिका के अन्तर्विरोधों को भी उभारा है।

अधीनस्थ अदालतों की नियुक्ति व्यवस्था भी कई बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रही है। उच्च न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों के चयन व नियुक्ति का कार्य किया जाता है। समन्वय का अभाव, जिला न्यायाधीशों के स्थानांतरण में राजनीति, 25% से अधिक पदों की रिक्ती व खराब कार्य संस्कृति प्रमुख चुनौतियां है।

न्यायिक नियुक्ति प्रणाली की एक बड़ी खामी उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व का अभाव भी है। उच्च न्यायपालिका (SC+HC) में मात्र 12% जजस ही महिलाएँ हैं तथा अधीनस्थ में मात्र 24% ही।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अत्यधिक रिक्तियां व बार-बार स्थानांतरण के कारण बढ़ते कार्य बोझ, धीमी निपटान प्रणाली, अवसंरचनात्मक बाधाओं को और भी गहरा किया है।

'जॉली एल.एल.बी.' मुवी में एक जिला जज के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को उभारा गया है; जो हमारी वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के स्याह पक्ष का चित्रण करती है। ऐसे में सुधारों की अगली राह क्या हो? कैसे बदलावों की अपेक्षा है?

सबसे पहले कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता के लिए RTI के दायरे में लाना चाहिए तथा, एक चयन समिति का गठन किया जाए

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

जो कॉलेजियम को संभावित उम्मीदवारों के नाम उपलब्ध कराए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान का बुनियादी मूल्य है अतः उसकी स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कॉलेजियम व्यवस्था को अधिक ऑपन व प्रगतिशील बनाने की जरूरत है।

'अखिल भारतीय न्यायिक सेवा' की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करते हुए इसे लागू किया जाना चाहिए ताकि देश की बेहतरीन प्रतिभाओं को न्यायिक व्यवस्था में शामिल कर न्यायिक प्रणाली को आधुनिक व तीव्र बनाया जा सके।

अधीनस्थ ~~न्यायपालिकाओं~~ अदालतों में राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर स्वतंत्र व निष्पक्ष नियुक्ति प्रणाली को अपनाना

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में 4 महिला जजों की नियुक्ति सराहनीय प्रयास है; जिसके कारण महिलाओं के लिए रोल मॉडल व प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।

अधिकरणों में नियुक्ति को अधिक निष्पक्ष व स्वतंत्र बनाने के लिए अनावश्यक अधिकरणों की समाप्ति व वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र को बढ़ावा देने की जरूरत है। विशेषज्ञ व प्रमेन प्रभाव वाले अधिकरणों में न्यायधीशों की नियुक्ति से पूर्व कौशल, तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था तैयार की जाए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हुए न्यायाधीशों के कार्य बोझ को कम करने, न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता, कुशलता के प्रयास करना चाहिए।

गुजरात हाईकोर्ट द्वारा अपनाई डिजिटल डैशबोर्ड 'जस्टिस क्लॉक' को पूरे देश की अदालतों में लागू करना, जो मुकदमों को ऑनलाइन ट्रैक करने का प्लेटफॉर्म तैयार करती है।

जस्टिस एम. वी. रमन्ना के सुझावानुसार AI एल्गोरिदम का प्रयोग इन्श्योरेंस क्लेम जैसे तकनीकी विवादों के निपटान में करना, फाइलिंग, राइटिंग के लिए वॉइस कमांड डिजिटल गैजेट्स का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रयोग भी न्यायाधीशों के बोझ को कम करेगा।

समग्र रूप से कहे तो आज भी जनता का सर्वाधिक विश्वास न्यायलयों के प्रति दिखता है; 'I will see you in the court' जैसी उक्तियाँ हो या 'पंच परमेश्वर' की परिकल्पना, न्यायपालिका द्वारा समय-समय पर निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका हो या जनहित याचिकाओं द्वारा न्याय के दरवाजों को 24x7 खोलने की प्रतिबद्धता। भारतीय न्यायप्रणाली के उज्जवल पक्ष है।

लेकिन जब किसी भी संस्था में समय के साथ बदलाव

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नहीं होते है, तो ऐसे में उनके यथा-स्थितिवादी होने का खतरा रहता है।

ऐसे मे न्यायिक नियुक्तियों में बदलाव समय की माँग बन जाता है। हर भी संकट के पीछे एक नैतिक संकट होता है इसीलिए समाज में न्याय विश्वास की स्थापना के लिए न्याय व्यवस्था का न्याय संगत होना जरूरी हो जाता है।

अन्त में यह कहना ही उचित होगा कि एक न्यायपूर्ण समाज ही अपने नागरिकों की समृद्धि व राष्ट्र के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है क्योंकि मनुष्य सब कुछ सह सकता है लेकिन अन्याय नहीं सह सकता।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सेक्शन -B

इतिहास विजेताओं द्वारा लिखा जाता है।

"जो, पुल बनायेंगे,
अनिवार्यत: पीछे रह जायेंगे।
सेनाएँ हो जायेगी पार,
मारे जायेंगे रावण,
जेय होंगे राम,
जो निर्माता रहे
इतिहास में,
बन्दर कहलायेंगे!" (अज्ञेय)

यह प्रतीकात्मक काव्य पंक्तियां हमारे सामने दो प्रश्न खड़े करती है। पहला - क्या इतिहास केवल नायकों और सेनापतियों का ही लिखा जाता है? उन हजारों सैनिकों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

या नींव के पत्थरों का नहीं, जो इमारत की बुलंदी के लिए जमींदोज़ हो गए? दूसरा - इतिहास उन्हीं लोगों को रेखांकित करता है, जो उसे बदलने का सामर्थ्य रखता है। क्या इतिहास के पन्नों में उन्हें ही स्थान मिलता है जो अपनी नियति के पूर्व नियमों को ठुकराकर अमर हो जाते हैं?

इन्हीं प्रश्नों व दृष्टिकोणों के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि यहां विजेताओं से क्या आशय है?

संक्षिप्त अर्थ में देखे तो विजेता वह व्यक्ति है जिसने जीत हासिल की है जैसे किसी युद्ध का विजेता लेकिन यहां इसे व्यापक

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अर्थों में देखने की जरूरत है। विजेता केवल वही नहीं है जिसने कोई क्षेत्र जीता हो, बल्कि वह भी है, जिसने अपने मन, अपनी इच्छाओं को जीता हो। क्योंकि सारी लड़ाइयाँ केवल बाहर ही नहीं लड़ी जाती, अधिकांश संघर्ष तो अंतर्जगत के हैं। जैसे- बुद्ध ने अपने मन में लड़ी जैसे- गांधी जी ने समाज के मध्य सत्य को जीते हुए लड़ी और जैसे- अर्जुन ने महाभारत के रण में लड़ी।

ज्ञातव्य हो कि मानव सभ्यता का इतिहास एक लाख वर्षों का इतिहास नहीं है यह केवल उन मुट्ठी भर लोगों का इतिहास है जिन्होंने न केवल सभ्यता की दशा बदली बल्कि मानवता को एक नई दिशा भी प्रदान की

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

राजनीतिक संघर्षों के इतिहास में कितने ही आन्दोलन और क्रान्तियाँ हुई लेकिन महात्मा गांधी ने इसे एक नैतिक संघर्ष बनाकर अन्याय के खिलाफ ऐसा कारगर रास्ता मानवता को दिया कि आज दुनिया के किसी भी कोने में आन्दोलन की प्रवृति सत्याग्रह और सविनय के रूप में आ देखने को मिल जायगी; फिर चाहे स्विजरलैण्ड की सड़को पर जलवायु के लिए सत्याग्रह करते स्कूल के बच्चे हो या वाजिब दाम के लिए लड़ता किसान।

गांधी का सत्याग्रह और सविनय हर दौर में दोहराया जाता रहा है और आगे भी दोहराया जायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नेल्सन मंडेला का ~~आन्दोलन~~ नस्लवाद के खिलाफ freedom for dignity हो या मार्टिन लूथर किंग जूनियर का 'सिविल राइट मूवमेंट' या ब्लैक लिवज़ मैटर। सब में गांधी के सत्याग्रह की अनुगूंज है।

वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में न्यूटन, आइंस्टीन, एंडरसन व स्टीफन हॉकिंग्स इतिहास व जनमानस की चेतना के शाश्वत भाग बन गए हैं लेकिन उन सबके बीच एक गरीब और पिछड़े देश में विज्ञान का स्वप्न देखने वाले सितारे - विक्रम साराभाई, डॉ. होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन व

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

ए. पी. जे. अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रीय इतिहास के पन्नों से विस्मृत नहीं किया जा सकता।

भारत की वैज्ञानिक तरक्की में चार चाँद लगाने वाली संस्थाओं में ISRO व DRDO अभावों के बावजूद आत्मनिर्भर व वैश्विक पहचान का प्रतीक बनकर उभरी है। 1960 के दशक में रॉकेट को बैलगाड़ी व साईकल पर ले जाने वाली ISRO संस्था आज अंतरिक्ष में सैटलाइट लॉन्च का वैश्विक ठिकाना बन पाया है तो उसकी प्रतिबद्धता और जिद्द के कारण ही।

धार्मिक व नैतिक चिंतन के क्षेत्र में बुद्ध का 'सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय और महावीर के सत्य, अहिंसा

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के पंचशील मानवता को करुणा व दया के संदेश शताब्दियों तक देते रहे। सुकरात, अरस्तु व प्लेटो के देव पेड़ दर्शन ने मध्यकालीन अंधकारमय यूरोप को पुनर्जागरण व प्रबोधन की नई चेतना प्रदान की।

मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल सत्ता के सामने जहाँ सम्पूर्ण भारत नतमस्तक था वहाँ एक छोटी सी रियासत मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने पराधीनता स्वीकार करने से मनाकर दिया। अपने समय की सबसे बड़ी शक्ति से संसाधनों के अभाव के बावजूद लड़ने व 'स्वतंत्रता' की चेतना के कारण ही वह इतिहास के

पन्नों में स्थान पा सके। ~~इस~~ छत्रपति शिवाजी हो या रानी लक्ष्मीबाई सबने अपने सामर्थ्य को बांधकर इतिहास स्वयं बनाया है।

आर्थिक क्षेत्र में देखे तो आज भारत दुनिया की 5 वी बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा वैश्विक बाजार है; इसलिए वैश्विक मंचों पर भारत की बात को गंभीरता से सुना जाता है। हिन्द पैसेफिक रणनीति, क्वाड और I2U2 जैसे संगठन भारत को केन्द्र में रखकर इसीलिए बनाए जाते है क्योंकि भारत भविष्य का आर्थिक विजेता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

खेल क्षेत्र में एक समय भारत जहाँ हॉकी में विश्व विजयता रहा लेकिन जब 1980 के बाद भारत की विजय हार में बदलने लगी तो भारत मानो हॉकी के इतिहास, और वर्तमान से बाहर कर दिया गया लेकिन 2022 के टोक्यो ओलम्पिक में कांस्य पदक जीतकर भारत ने इतिहास को नए सीरे से लिखने की चुनौती ही दे डाली।

यही कारनामा 1983 व 2011 के क्रिकेट वर्ल्डकप में भारत ने किया, तो आज भारत क्रिकेट की वैश्विक महाशक्ति बन बैठा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि कई बार विजेताओं को इतिहास के पन्नों पर वह गौरवान्वित महत्व नहीं दिया जाता, क्योंकि उनकी विजय व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए थी न कि मानवता के लिए।

औपनिवेशिक सत्ता द्वारा दो-तिहाई विश्व पर शोषण का साम्राज्य फैलाने वाले ब्रिटेन व यूरोप का इतिहास रक्तरंजित व अमानवीय अत्याचारों से भरा पड़ा है। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का शिकार हुए उत्तरी व दक्षिण अमेरिका के वनवासियों, अफ्रीका के दासों व भारत के गिरमिटियों मजदूरों

को इतिहास में गायब कर दिया गया है। ऐसे ही सोवियत संघ में स्तालिन के अत्याचारों, हिटलर के होलोकास्ट व मुसोलीन के फासीवाद का शिकार हुए लोगों का इतिहास में वह स्थान नही है।

इसलिए कई बार इतिहास केवल घटनाओं का निर्लज्ज प्रलाप मात्र बनकर रह जाता है। सबाल्टन इतिहास दृष्टि इतिहास को आम लोगों की नज़र व उनके जीवन को केन्द्र में रखने की बात करती है। इतिहास में केवल विजेता ही महत्वपूर्ण नही होते हार, और कुचले हुए लोग भी महत्वपूर्ण

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होते है; इसलिए इतिहास उन आम लोगों का भी होना चाहिए जो गुमनामी में कैद कर दिए गए है।

इतिहास में उस फकीर बाबा कबीर का स्थान भी हो और उस मुगल राजकुमार दारा शिकोह का भी जो भारत की गंगा-जमुनी तहजीब का पक्षधर था; जिसे अपने समय के विजेता औरंगजेब ने कत्ल-ए-आम किया।

इतिहास में रूसो, वॉल्टेयर की वैचारिकी भी हो तो फ्रांसीसी क्रांति भी; वहाँ गैलिलियो जैसे विज्ञानवादी भी हो और लूथर जैसे मानववादी भी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

समग्र रूप से देखे तो इतिहास को व्यापक रूप से बदलने का काम केवल विजेताओं ने ही नहीं किया बल्कि उन आम लोगों ने भी किया जिसमें कोई किसान था जिसने मानव के लिए अनाज उगाया, कोई माँ और गृहिणी भी थी जिसने कुटुम्ब को जीवित रखा, वह सैनिक था जिसने अपने लोगों की रक्षा और विजेताओं की जीत के लिए अपना जीवन दिया।

उसी इतिहास में वह संगीतकार, चित्रकार भी था जिसने संगीत व कला के नए प्रतिमान बनाए तो वह वैज्ञानिक भी था जिसने मानवता की पीड़ा हरने के लिए विज्ञान का प्रयोग

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

किया।

इतिहास उन सब विजेताओं की गाथा है जिन्होंने अपनी यथास्थिति को बदलने के लिए अपने मन, समाज, व बाहरी शत्रु से लोहा लिया। वह सब लोग शामिल थे जिनके लिए शायर ने कहा है कि-

"प्यास लगती है, चलो रेत निचोड़ी जाए
हमें विरासत में दरिया नहीं मिला"

गांधी जी ने सही ही कहा है कि - "अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक तणकाय व्यक्ति भी इतिहास के रुख को मोड़ सकता है।"

अन्त में यह कहना उचित होगा कि इतिहास उस मानव मन

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

के सामर्थ्य की गाथा है। जिसके लिए 'कुँवर नारायण' ने लिखा है कि—

"जब तुम अपने मस्तक पर
तर्क का पहला तूफ़ान झेलोगे
और काँपोगे नहीं!
तब तुम पाओगे!
कोई फर्क नहीं ~~पड़ता~~ रहता,
सब कुछ जीत लेने में
और अंत तक हिम्मत न हारने में"

———×———

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रफ

- लोग अपनी जमीने, गहने बेचकर, न्याय की भीख माँगने आते है और उन्हे मिलती है तारीख, जिन्दगी गुजर जाती है अदालतों के चक्कर काटते-काटते जेबे खाली हो जाती है; उन्हें मिलती है तारीख।

तारीख, पे तारीख तारीख पे ——>

हमारी न्याय व्यवस्था की हकीकत है। यह संवाद "दामिनी" फिल्म सनी देओल अभिनीत फिल्म दामिनी में उन यह कहा

लम्बित मामले वर्तमान, 80 हजा.

4.7 करोड़ मामले 80K

30 वर्ष से अधिक। सालों बाद → वकील भी, तारीख न्यायप्रक्रिया सजा बन जाती है।